BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL ZONAL BENCH AT BHOPAL (M.P.)

ORIGINAL APPLICATION NO.97 OF 2022

KAMAL TIWARI

VERSUS

UNION OF INDIA AND OTHERS

PAPER BOOK INDEX

Sl. No.	Description of Documents with Annexure No.	PAGE NO.
1.	Affidavit.	1-5
2.	Documents:	6-19
(a)	**Annexure-A/1.** Photocopy of representation dated 19/12/2024 along-with other relevant documents.	6-19

COUNSEL FOR THE APPLICANT

R/895/2000

(Krishan Sharma)

Advocate

Mob- 9982765049

Email- advocatekrishana@gmail.com

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL ZONAL BENCH AT BHOPAL (M.P.)

ORIGINAL APPLICATION NO.97 OF 2022

KAMAL TIWARI

VERSUS

UNION OF INDIA AND OTHERS

Additional Affidavit for taking additional documents on record.

I, Kamal Tiwari son of Shri Shambhu Dayal, Aged About 45 Years, R/o- 29 Shankar Colony Heeda Ki Mori, Ramganj Bazar Jaipur, (Rajasthan), do hereby take oath and state as under: -

1. That I filed present original application against illegal and non-forest activities being carried on in Nahargarh Wildlife Sanctuary.
2. That this Hon'ble Tribunal had constituted a joint committee vide order dated 25/09/2023 for submitting the factual and action taken report and pursuant to the directions of this Hon'ble Tribunal factual report was submitted in which it has been specifically pointed out that Khasra No.3 of Village Beed Papad is recorded in the name of RIICO however same is part of Nahargarh Wildlife Sanctuary as per notification and map of Nahargarh Wildlife Sanctuary and It has been also pointed out that Khasra No.10 of Village Beed Papad is reserved forest land of Vankhand Amer-54 and Nahargarh Wildlife Sanctuary.
3. That on the basis of Joint Committee Report this Hon'ble Tribunal passed detailed orders on 01/11/2023 and 20/12/2023 and said orders came to be challenged by RIICO before Hon'ble Supreme Court of India by preferring an appeal and Hon'ble Apex Court had upheld the directions passed by this Hon'ble Tribunal vide order dated 31/08/2024 and the appeal filed by the RIICO came to be dismissed.

ATTESTED 16-2-2025 NOTARY JAIPUR (Rajasthan)

NOTARY K.K SHARMA ADVOCATE JAIPUR (RAJ.) Regd. No. 901 GOVT. OF RAJASTHAN

4. That RIICO had filed an application for demarcation of boundaries by constituting another committee comprising forest officials and revenue officials and at the request of RIICO this Hon'ble Tribunal had again constituted a joint committee comprising senior officials of forest department and revenue department vide order dated 26/09/2024 and said joint committee had submitted its report before this Hon'ble Tribunal with absolutely vague and baseless averments and stated that no authentic map of Nahargarh Wildlife Sanctuary exists yet therefore the determination of boundaries of Nahargarh Wildlife Sanctuary cannot be possible unless and until the boundaries are demarcated, the observations given by the joint committee are contradictory to the notification of Nahargarh Wildlife Sanctuary as it has been clearly stated in the Notification that Village Beed Papad would be the part of Nahargarh Wildlife Sanctuary irrespective of its nature, meaning thereby the revenue land as well as forest land situated in Village Beed Papad will remain the part of Nahargarh Wildlife Sanctuary. It is submitted that even as per the map of Nahargarh Wildlife Sanctuary the disputed Khasra No.3 and Khasra No.10 of Nahargarh Wildlife Sanctuary are part of Nahargarh Wildlife Sanctuary and even in the notification of Eco Sensitive Zone the list of villages falling within the boundaries of Nahargarh Wildlife Sanctuary have been mentioned with Longitude and Latitude of the villages.

5. That the Senior most officers of the Forest Department and Revenue Department were included in the committee and they submitted the report that no authentic map of Nahargarh Wildlife Sanctuary exists yet and the boundaries have not been demarcated so far, it is stated that the observations recorded by joint committee fortify the casual and irresponsible behaviour of the officers of the State and same would also fortify that these officers are only responsible for encroachment and non-forest activities within the periphery of Nahargarh Wildlife Sanctuary and reserved forest land of Vankhand Amer-54 and they are

ATTESTED 16-2-2025
NOTARY
JAIPUR (Rajasthan)

NOTARY K.K SHARMA ADVOCATE JAIPUR (RAJ.) Regd. No. 901 OF RAJASTHAN

hands in glove with the violators of the law. It is submitted that map of Nahargarh Wildlife Sanctuary is available in the office of Deputy Conservator of the Forests despite the then DCF Zoo Mr. Jagdish Chand Gupta being part of the committee constituted by this Hon'ble Tribunal did not even disclose regarding map of Nahargarh Wildlife Sanctuary and they concealed the map in order to render undue advantage to violators of the law and all the forest officers and revenue officers have not even perused the notification and official KML file along-with coordinates of Nahargarh Wildlife Sanctuary and they simply escaped from their statutory and legal responsibility by saying that no map of Nahargarh Wildlife Sanctuary exists yet whereas the authentic and approved map of Nahargarh Wildlife Sanctuary is available in the office of Deputy Conservator of Forests Wildlife Zoo and the vague report submitted by joint committee also reveals that Senior Forest Officers, who were part of the committee, have no control over the subordinate forest officials as they have signed the report on the basis of false and fabricated statement given by the then Deputy Conservator of Forests Wildlife Zoo Mr. Jagdish Chand Gupta and they did not even verify the statement given by him and on the basis of false and vague statements made by him they submitted a vague and baseless report before this Hon'ble Tribunal with request to constitute another committee, the behaviour of all the officers of committee appears to be irresponsible and derogatory to the record of Nahargarh Wildlife Sanctuary and in that view of the matter the strict action is warranted against each and every member of the committee including prosecution under environmental law, the scanned copy of map of Nahargarh Wildlife Sanctuary is being filed before this Hon'ble Tribunal for kind perusal and the original map shall be kept ready for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal at the time of hearing of instant original application.

6. That this Hon'ble Tribunal had passed detailed order on 16/12/2024 issuing directions to Chief Secretary of Government of Rajasthan qua

ATTESTED 16-2-2025 NOTARY JAIPUR (Rajasthan)

NOTARY K.K SHARMA ADVOCATE JAIPUR (RAJ.) Regd. No. 901 GOVT OF RAJASTHAN

demarcation and strict action against the officers, who were part of the committee and Applicant had submitted detailed representation in the office of Chief Secretary, Government of Rajasthan on 19/12/2024 and stated about the correspondences of the Principal Chief Conservator of Forests of Rajasthan dated 07/02/2024 addressed to Lokayukt Rajasthan in which he specifically stated that Map of the Nahargarh Wildlife Sanctuary is approved and genuine and as such same cannot be said to be false. It is stated that at one hand Principal Chief Conservator of Forests is saying that there is map of Nahargarh Wildlife Sanctuary which is genuine and authentic and at another juncture the members of the committee are saying before this Hon'ble Tribunal that no authentic map of Nahargarh Wildlife Sanctuary exists yet, the highest authority of the forest department is admitting the presence of map of Nahargarh Wildlife Sanctuary whereas the forest officers subordinate to him (Members of Committee) are presenting false and fabricated facts before this Hon'ble Tribunal regarding map of Nahargarh Wildlife Sanctuary and the act of members of the committee is not only sign of irresponsibility of officers of State rather same is also serious and grave misconduct on the part of members of the committee for which the appropriate departmental action in addition to penal action and prosecution is required to be taken against all the officers who were members of the committee as they have misrepresented and concealed the material facts in their joint committee report submitted before this Hon'ble Tribunal. The Photocopy of representation dated 19/12/2024 along-with other relevant documents are annexed herewith and marked as **Annexure-A/1 Collectively.**

7. That facts and documents annexed with present affidavit be taken on record in the interest of Justice.
8. That averments of facts, ground and documents of the annexed affidavit are true and correct, which I believe to be true and correct on the basis of my personal knowledge.

ATTESTED 16-2-2025
NOTARY
JAIPUR (Rajasthan)

NOTARY
K.K SHARMA
ADVOCATE
JAIPUR (RAJ.)
Regd. No. 901
GOVT. OF RAJASTHAN

DEPONENT

VERIFICATION

I, above named deponent, do hereby verify that contents of para no.1 to 8 of the above affidavit are true & correct to my personal knowledge. Nothing material has been concealed and no part of it is false. SO HELP ME GOD.

Identified by

DEPONENT

ATTESTED 16-2-2025
NOTARY
JAIPUR (Rajasthan)

NOTARY
K.K SHARMA
ADVOCATE
JAIPUR (RAJ.)
Regd. No. 901
GOVT. OF RAJASTHAN

Annx. A/1

Reg.No.-COOP/2022/JAIPUR/203739

BRN-8005220065001036

नाहरगढ़ वन एवं वन्यजीव सुरक्षा एवं सेवा समिति

सचिव

कमल तिवाड़ी मो.-9929514692

Email ID - edcnahargarh@gmail.com,

क्रमांक : 95-100

दिनांक : 19/12/2024

सेवामें,

1. श्रीमान् मुख्य सचिव महोदय,
   राजस्थान सरकार शासन सचिवालय जयपुर।
2. श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
   राजस्थान सरकार शासन सचिवालय जयपुर।
3. श्रीमान् प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ)
   राजस्थान सरकार अरण्य भवन जयपुर।
4. श्रीमान् प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
   मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राजस्थान सरकार अरण्य भवन जयपुर।
5. श्रीमान् जयपुर जिला कलेक्टर जयपुर।
6. श्रीमान् सदस्य सचिव राजस्थान पोलेशन कंट्रोल बोर्ड
   झालाना डूंगर जयपुर।

विषय :— माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेंट्रल जोन भोपाल ओरिजनल ऐप्लिकेशन नम्बर 97/2022 कमल तिवाड़ी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.12.2024 की पालना सुनिश्चित करवाने बाबत्।

संदर्भ :— माननीय एन.जी.टी द्वारा गठित जाइन्ट कमेटी सदस्यों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करवाने बाबत्।

मान्यवर,

विषयान्तर्गत निवेदन निम्न प्रकार से हैं :–

1. यह कि महोदय नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की अधिसूचना दिनांक 22.09.1980 को जारी की गयी थी, तथा 1980 के पश्चात् काफी समय व्यतीत हो जाने के बाद वर्ष 2012 में मानचित्र तत्कालीन जिला कलेक्टर जयपुर व प्रधान पंचायत समिति, उपखण्ड अधिकारी आमेर, उपवन संरक्षक वन्यजीव जयपुर, मानद वन्यजीव प्रतिपालक जयपुर की सर्वसहमति से अधिसूचना में वर्णित सीमाओं के अनुसार अभयारण्य का नक्शा तैयार किया गया, एवं सर्वसहमति से उक्त नक्शे को हस्ताक्षरित कर अनुमोदित किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 15.09.2016 को श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन) क अध्यक्षता में नाहरगढ़ ईको सेंस्टीव जोन के संबंध में हुई बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार राज्य सरकार के पंत्राक एफ. 1(71) वन/2022 दिनांक 21.09.2016 द्वारा बैठक कार्यवाही विवरण के निर्देशानुसार संशोधित मानचित्र तत्कालीन जिला कलेक्टर जयपुर, प्रधान पंचायत समिति आमेर, उपखण्ड अधिकारी आमेर, उपवन संरक्षक वन्यजीव जयपुर, उपखण्ड अधिकारी जयपुर, मानद वन्यजीव प्रतिपालक जयपुर जिला कलेक्टर जयपुर, वरिष्ट वन्यजीव जयपुर की सहमति एवं हस्ताक्षर से उक्त नक्शे को संशोधित किया गया, एवं नवीन नक्शा हस्ताक्षरित करके अनुमोदित किया गया, तथा नाहरगढ़ ईको सेंस्टिव जोन अधिसूचना 8 मार्च 2019 के नअुसार नाहरगढ़ अभयारण्य एवं नाहरगढ़ ईको सेंस्टिव जोन के नक्शें को **तत्कालीन जिला कलेक्टर जयपुर, प्रधान पंचायत समिति आमेर, उपखण्ड अधिकारी आमेर, उपवन सरंक्षक वन्यजीव जयपुर, उपखण्ड अधिकारी जयपुर, मानद वन्यजीव प्रतिपालक जयपुर जिला कलेक्टर जयपुर, वरिष्ट वन्यजीव जयपुर की सहमति एवं हस्ताक्षर से उक्त नक्शे को हस्ताक्षर करके अंतिम रूप देते हुये अनुमोदित किया गया। प्रति संलग्न – 1**

2. यह कि महोदय उक्त नक्शे के संबंध में सर्वप्रथम हमारी संस्था द्वारा वर्ष 2022 में राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के समक्ष आपत्ति दर्ज करवायी गयी, क्योंकि

उक्त नक्शे के अनुसार अभयारण्य में रहने वाले लोगों के मूल अधिकारो का हनन हो रहा था, क्योंकि उक्त अभयारण्य के नक्शे एवं इ.एस.जेड़ नक्शे के अनुसार जयपुर विकास प्राधिकरण व नगर–निगम द्वारा उक्त नक्शे की सीमा में आने वाले गॉवों, कॉलोनियों को आवंटन पत्र/नियमन/ भू–परिवर्तन आदि पर रोक लगा दी गई है, परंतु केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा उक्त प्रकरण पर कोई कठोर एवं पूर्नविचार नहीं करने पर हमारी संस्था द्वारा एक परिवद माननीय लोकायुक्त सचिवालय राजस्थान जयपुर को प्रेक्षित कर निवेदन किया गया कि जयपुर जिला कलेक्टर व वन अधिकारियों द्वारा नाहरगढ़ अभयारण्य के अधिसूचना22.09.1980 के विपरित जाकर नारग अभयारण्य व ईको सेंस्टिव जोन का नक्शा अनुमोदित किया गया है, जिसे तत्काल प्रभाव से निरस्त करवाया जावे, तथा दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करवाई जावे, तत्पश्चात् हमारी संस्था द्वारा लिये ये परिवाद पर माननीय लोकायुक्त सचिवालय द्वारा संज्ञान लेते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) को नोट्यि जारी किया गया, जिसका क्रमांक एफ. 15 (5) एल.ए.एस /2022/20481 दिनांक 24.01.2024 जारी कर जवाब तलब किया गया, जिसके क्रम में कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक एफ. 14 (लोका.14) 2014/व.सू./प्र.मु.व.स/382 दिनांक 07.02.2024 द्वारा माननीय लोकायुक्त सचिवालय को अवगत कराया गया कि **"उक्त नक्शा वर्ष 2012 में तैयार किया गया था, इसके बाद जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गटित संमिति द्वारा ग्रामीणों को अधिकारों के लिये उक्त नक्शे के संबंध में आक्षेंप/आपत्ति दर्ज करवाने का समय दिया गया था, उसक 7 साल बाद वर्ष 2019 में समिति द्वारा आक्षेपों का निस्तारण कर नक्शा अनुमोदित किया गया है। अतः अब यह कहना न्यायोचित नहीं है, कि उक्त नक्शा गलत बनाया गया है, तथा आमजन के अधिकारों का हनन किया गया है, इस कारण सभी तथ्यों के अध्ययन के उपरान्त इस प्रकरण को संज्ञान में लिया जाना उचित नहीं है। उक्त कथन**

तत्कालिन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) राजस्थान सरकर जयपुर श्री एम.के गर्ग द्वारा स्पष्ट किया गया था" प्रति संलग्न – 2

3. यह कि महोदय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) राजस्थान सरकार जयपुर के उक्त पत्र एवं कथनानुसार यह स्पष्ट हो चुका है कि नाहरगढ़ अभयारण्य एवं इको सेंस्टिव जोन का संयुक्त नक्शा एवं उक्त नक्शे में किय गया सीमाकन नाहरगढ़ अभयारण्य की अधिसूचना 1980 के अनुसार सही है, एवं सक्षम स्तर पर अनुमोदित है, जो कि अब एक निर्विवाद विषय है, परंतु वर्तमान में इस उक्त नक्शें को लेकर काफी विवाद उत्पन्न हो चुके हैं, और वन विभाग के अधिकारियों द्वारा ही अब इस नक्शे के विपरीत जाकर न सिर्फ अभयारण्य में गैरवानिकी गतिविधियों करवा रहे है, अपितु उक्त गतिविधियों में अपनी भूमिकाएं भी सुनिश्चित कर रहे हैं, साथ ही उक्त नक्शे के संबंध में माननीय न्यायालयों एवं एन.जी.टी को भी घुमराह करके झूठा शपथ पत्र भी प्रेषित कर रहे हैं, जिसके संबंध में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेंट्रल जोन भोपाल ओरिजनल ऐप्लिकेशन नम्बर 97/2022 कमल तिवाड़ी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.12.2024 में श्रीमान् मुख्य सचिव महोदय राजस्थान सरकार जयपुर को यह निर्देशित किया गया कि वे निम्नलिखित अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित कर कार्यवाही रिपोर्ट प्रेषित करे,

1. **विजय शर्मा क्षेत्रीय निदेशक राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड**
2. **बजरंग लाल स्वामी उपखण्ड अधिकारी आमेर**
3. **महेश दत्त पुरोहित साइंटिस्ट. डी एस.आर,ओ., जयपुर एम.ओ.ई.एफ/सी. सी, जी.ओ.आई।**
4. **जगदीशचंद गुप्ता उपवन संरक्षक वन्यजीव चिड़ियाघर जयपुर**
5. **टी.मोहन राज मुख्य वन संरक्षक जयपुर**
6. **राजीव चर्तुवेदी मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव जयपुर।**

4. यह कि महोदय माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेंट्रल जोन भोपाल ओरिजनल ऐप्लिकेशन नम्बर 97/2022 कमल तिवाड़ी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य

में पारित आदेश दिनांक 16.12.2024 में पारित आदेश दिनांक 26.09.2024 में एक समिति का गठन इस आशय के साथ किया गया था कि वे विचाराधीन रिको प्रकरण में अभयारण्य सीमाओं को लेकर विवाद उत्पन्न हो रहा था मौके पर अभयारण्य सीमाओं का सत्यापन हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था जिसमें निम्नलिखित व्यक्तियों/विभागों को सम्मलित किया गया था।

1. एक प्रतिनिधि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का प्रतिनिधि
2. एक प्रतिनिधि अतिरिक्त मुख्य सचिव वन शासन सचिवालय जयपुर
3. एक प्रतिनिधि प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) राजस्थान जयपुर।
4. एक प्रतिनिधि मॉनिटरिंग कमेटी नाहरगढ़ ई.एस.जेड़ अधिसूचना के सीरियल नम्बर 3 व 4 व विशेषज्ञ प्रर्यावरणीय विद
5. एक प्रतिनिधि राजस्थान पोलेशन कंट्रोल बोर्ड
6. एक प्रतिनिधि रिको व ऐप्लिकेन्ट

इस प्रकार माननीय एन.जी.टी द्वारा उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करके निर्देशित किया गया कि आगामी तारीख पेशी शपथ पत्र के साथ सत्यापन रिपेर्ट प्रस्तुत करें। उक्त आदेश के क्रम में उच्च कार्यालय एवं विभागों के द्वारा प्रतिनिधियों की नियुक्ती की गयी, तथा नियुक्त प्रतिनिधियों द्वार मौके का निरीक्षण किया गया, तथा मौका निरीक्षण के दौरान रिको प्रतिनिधि रेस्पोडेन्ट को बुलाया गया, तथा समिति में सम्मलित किया गया, तथा प्रार्थी को न तो मौके पर बुलाया गया, ना ही सम्मलित किया गया और ना ही प्रार्थी के द्वारा पत्र क्रमांक 74–80 दिनांक 05.11.2024 के द्वारा दिये गये दस्तावेज एवं प्रार्थना पत्र को जानबूझकर रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया, जिससे यह स्पष्ट दर्शाता है कि समिति सदस्यों द्वारा द्वैष भावना से प्रार्थी को उक्त प्रकरण से दूर रखा है, जबकि माननीय एन.जी.टी के स्पष्ट निर्देश थे कि प्रार्थी एवं प्रतिवादी की बात को रिकॉर्ड पर लिया जावे, परंतु समिति सदस्यों द्वारा उक्त आदेश के विपरीत जाकर प्रतिवादी रिको को न सिर्फ समिति में सम्मलित किया गया अपितु उसके

दस्तावेजों को भी रिकॉर्ड पर लिया गया और प्रार्थी को सम्पूर्ण प्रकरण से दूर रखा गया। इस प्रकार एक फर्जी एवं झूट पर आधारित आशयजीनक रिपोर्ट प्रेषित की गयी। प्रति संलग्न – 3

5. यह कि महोदय उक्त रिपोर्ट माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेंट्रल जोन भेपाल के समक्ष पेश की गयी, जिस पर माननीय एन.जी.टी द्वारा राज्य सरकारों को कड़े शब्दों में न सिर्फ फटकार लगायी, अपितु माननीय एन.जी.टी द्वारा अपने आदेश दिनांक 16.12.2024 के अनुसार मुख्य सचिव महोदय राजस्थान सरकार को लेख किया गया है, कि वन विभाग के अधिकारी नाहरगढ़ अभयारण्य के रक्षक नहीं अपितु बशक है, तथा इन अधिकारियों द्वारा ही नाहरगढ़ अभयारण्य में ना सिर्फ गैरविानिक गतिविधयां करवायी जाती है, अपितु उक्त अवैध गतिविधियों में वन विभाग के अधिकारियों की भूमिका स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। उनके द्वारा यह भी लेख किया गया कि आज नाहरगढ़ अभयारण्य में जो भी अतिक्रमण हो रहे हैं, वे सभी अतिक्रमण वन विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से हो रहे हैं, तथा उनके द्वारा यह भी लेख किया गया कि हमारे सामने नाहरगढ़ अभयारण्य के काफी मामलें हमारे सामने विचाराधीन है, जिसमें वन विभाग के अधिकारियों की भूमिका स्पष्ट रूप से प्रतीत होती दिखाई दे रही है, यह सभी अधिकारी वन संरक्षण को लेकर विफल रहे है, ऐसी स्थिति में इनकी तख्वा क्यों नहीं बंद कर दी जावे ? इतने उच्चत स्तर के अधिकारियों द्वार गैर जिम्मेदाराना रिपोर्ट हमारे समक्ष पेश की गयी है, जिसका अध्ययन करने पर यह ट्रिब्यूनल आशयचकीत रह गया, इन अधिकारियों द्वारा हमारे संज्ञान में लाया गया कि **"नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के अधिसूचना 22.09.1980 के पश्चात् अभी तक अभयारण्य का कोई अनुमोदित नक्शा नहीं है, ऐसी स्थिति में अभयारण्य सीमाओं का सत्यापन नहीं हो सकता"**। उक्त कथन काफी लापरवाह कथन प्रतीत होता है, क्योंकि अभयारण्य के अधिसूचना 1980 के पश्चात् आज तक अनुमोदित नक्शा नहीं होना घोर लापरवाही दर्शाता है, ऐसी स्थिति में इन अधिकारियो के विरूद्ध कठोर विभागीय कार्यवाही किया जाना

आवश्यक है, तथा माननीय मुख्य सचिव महोदय राजस्थान सरकार को निर्देशित किया गया, कि नाहरगढ़ अभयारण्य की सीमाओं का 2 माह में सत्यापन कर सत्यापन रिपोर्ट प्रेषित करे, साथ ही समिति में सम्मलित आपके प्रतिनिधि लोकसेवकों के विरूद्ध कठोर एवं दण्डात्मक कार्यवाही करके न्यायालयों को अवगत करवाये, तथा सम्पूर्ण नाहरगढ अभयारण्य सीमा में चल रहे सभी व्यवसायिक निर्माणों को तत्काल प्रभाव से रोक दिया जावे, तथा इस आदेश के बाद जो निर्माण होता है, उसे धवस्त कर दिया जावे, आदेश की पालना कठोरता से करवायी जावे। प्रति संलग्न – 4

6. यह कि महोदय जैसा कि हमारे द्वारा पूर्व में कथन किया जा चुका है, कि नाहरगढ़ अभयारण्य का एक अनुमोदित नक्शा पूर्व में तैयार किया जा चुका है, जिसकी एक प्रति जयपुर विकास प्राधिकरण, एक प्रति जयपुर नगर–निगम हेरिटेज, एक प्रति केन्द्र सरकार व एक प्रति राज्य सरकार वन विभाग, एवं एक प्रति सार्वजनिक रूप से गूगल पर डाली गयी है, फिर भी समिति में सम्मलित वन विभाग के अधिकारियों द्वारा जानबूझकर उक्त नक्शें को गोपन किया गया और माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेंट्रल जोन भोपाल को झुठा शपथ पत्र पेश किया गया कि नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य का कोई अनुमोदित नक्शा नहीं है, ऐसी स्थिति में माननीय एन.जी.टी के समक्ष न सिर्फ विभाग अपितु राज्य सरकार की छवि धुमील हुई है, जिसके लिये उक्त सभी लोकसेवक जो कमेठी में उल्लेखित है, वह दोषी सिद्ध होते हैं, तथा ऐसे लोकसेवक उनके विरूद्ध कार्यवाही किया जाना अभयारण्य हित में अतियावश्यक है।

7. यह कि महोदय आज नाहरगढ़ अभयारण्य में व्यवसायिक गतिविधियां एव गैरवानिकी गतिविधियां चरम सीमा पर है, तथा उक्त सभी अवैध गतिविधियां राजनीतिक हस्तक्षेप एवं वन विभाग के अधिकारियों के भ्रष्ट आचरण से हो रहे हैं, तथा जब यह अवैध गतिविधियां पकड़ी जाती है, तो राजनीतिक हस्ताक्षेप रखने वाले राजनेता व सम्मलित वन अधिकारी उक्त अवैध गतिविधि को लीगंल करने का पूरजोर प्रयास करते हैं, और बिना भय के झुठे शपथ पत्र न्यायालय

को पेश करते हैं, उनके इस कृत्य से अभयारण्य की सुरक्षा खतरे में पड रही है, तथा ये वन अधिकारी होटलमाफियाओं से एक मोटी रकम लेकर अनर्गल कथन न सिर्फ उच्च कार्यालयों को करते है, अपितु न्ययालयों को भी घुमराह करने का प्रयास करते हैं, यहां यह तथ्य भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि उपवन संरक्षक वन्यजीव चिड़ियाघर जयपुर में पदस्थापित श्री जगदीश गुप्ता के विरूद्ध कई शिकायते हमारी संस्था द्वारा की जा चुकी है, परंतु वन विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा उसको संरक्षण दिया जा रहा है, जगदीश गुप्ता एक भ्रष्ट आचरण वाला लोकसेवक है, जिसके संबंध में हमारे द्वारा लिखित शिकायत आप सभी के कार्यालयों में एवंकेन्द्र सरकार को भी की जा चुकी है, फिर भी जगदीश गुप्ता को आज दिनांक तक भी न तो निलंबित किया गया और ना ही उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी,. जगदीश गुप्ता विचाराधीन प्रकरण में एक मुख्य संदस्य था, तथा जगदीश गुप्ता को यह भली प्रकार से ज्ञात था कि नाहरगढ़ अभयारण्य का अनुमोदित नक्शा उनके कार्यालय रिकॉर्ड में संधारित है, फिर भी उक्त नक्शे को गठित समिति से छुपाया गया, और फर्जी कथन करके गैरवानिकी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया गया, ताकि वन अपराधी कानून की पकड़ से दूर हो सके, जगदीश गुप्ता द्वारा उक्त इसी प्रकरण में नहीं अपितु अन्य प्रकरणों में भी नक्शे के विपरित जाकर झुठी रिपोर्ट उच्च कार्यालय को प्रेषित करता है, तथा उच्च कार्यालयों को घुमराह करक जवाब का अनुमोदन करवाकर एन.जी.टी को प्रेषित करवाता है, तथा प्रकरण रेस्पोडेन्ट से इस ऐवज में सोदेबाजी करता है।, और मोटी रकम लेकर न्यायालयों को उसके पक्ष में जवाब दाखिल करवाता है। जगदीश गुप्ता के इस कार्यशैली को माननीय एन.जी.टी भली प्रकार से जान चुकी है। और उसके इस कृत्य की वजह से न्यायालय के समक्ष्ज्ञ न सिर्फ राज्य सरकार की छवि धुमील हुई है अपितु अन्य ईमानदार प्रवृत्ति लोकसेवकों के ऊपर भी लांछन माननीनय एन.जी.टी द्वारा लगाया गया है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेंट्रल जोन भोपाल के आदेश दिनांक 16.12.2024 की पालना सुनिश्चित करवायी जावे, तथा समिति में सम्मलित दोषी लोकसेवकों के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण भी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यौरो में दर्ज करवाकर कठोर कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित करवाने का कष्ट करे।

संलग्न उपरोक्तानुसार

प्रार्थी

Kamal Tiwari

कमल तिवाड़ी

(सचिव)

नाहरगढ़ वन एवं वन्यजीव

सुरक्षा एवं सेवा समिति जयपुर।

क्रमांक : 101—108

दिनांक : 19/12/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. श्रीमान् राजीव चर्तुवेदी, मुख्य वन संरक्षक जयपुर (प्रतिनिधि प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) राजस्थान सरकार वन विभाग जयपुर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. श्रीमान् टी. मोहनराज, मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव जयपुर (प्रतिनिधि अतिरिक्त मुख्य सचिव वन शासन सचिवालय जयपुर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. श्रीमान् महेश दत्त पुरोहित, वैज्ञानिक डी., मॉफ एंड सी.सी., एस.आर.ओ जयपुर प्रतिनिधि मॉफ एंड सी.सी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
4. श्रीमान् जगदीशचंद गुप्ता, उपवन संरक्षक वन्यजीव चिड़ियाघर जयपुर (प्रतिनिधि सदस्य सचिव मॉनिट्रिंग कमेटी नारहगढ़ ई.एस.जेड.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

5. श्रीमान् विजय शर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल जयपुर (नॉर्थ) (प्रतिनिधि राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल बोर्ड) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

6. श्रीमान् बजरंग लाल स्वामी, उपखण्ड अधिकारी आमेर, (प्रतिनिधि जयपुर जिला कलेक्टर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

7. श्रीमान् महा निदेशक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यौरा राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि समिति में सम्मलित उक्त प्रतिनिधियों द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये वास्तविक तथ्यों को व दस्तावेजों न सिर्फ छिपाया गया, अपितु अभयारण्य सीमाओं के साथ छेड़छाड करके गलत एवं कुटरचित रिपोर्ट मय शपथ पत्र माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेंट्रल जोन भोपाल के समक्ष पेश किया गया जो कि एक अपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है एवं भ्रष्टाचार अधिनियम के उल्लघंन की श्रेणी में भी आता है, ऐसी स्थिति में उक्त लोकसेवक के विरूद्ध एफ.आई.आर दर्ज निम्नानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करे।

8. गार्ड पत्रावली

प्रार्थी

Kamal Tiwari

कमल तिवाड़ी

(सचिव)

नाहरगढ़ वन एवं वन्यजीव

सुरक्षा एवं सेवा समिति जयपुर।

R.T.I act 2005

Deputy Conservator of Forests Wild Life Jaipur

Nahargarh Sanctuary Eco-Sensitive Zone

उपाबन्ध "अ"

SCALE 1:50,000

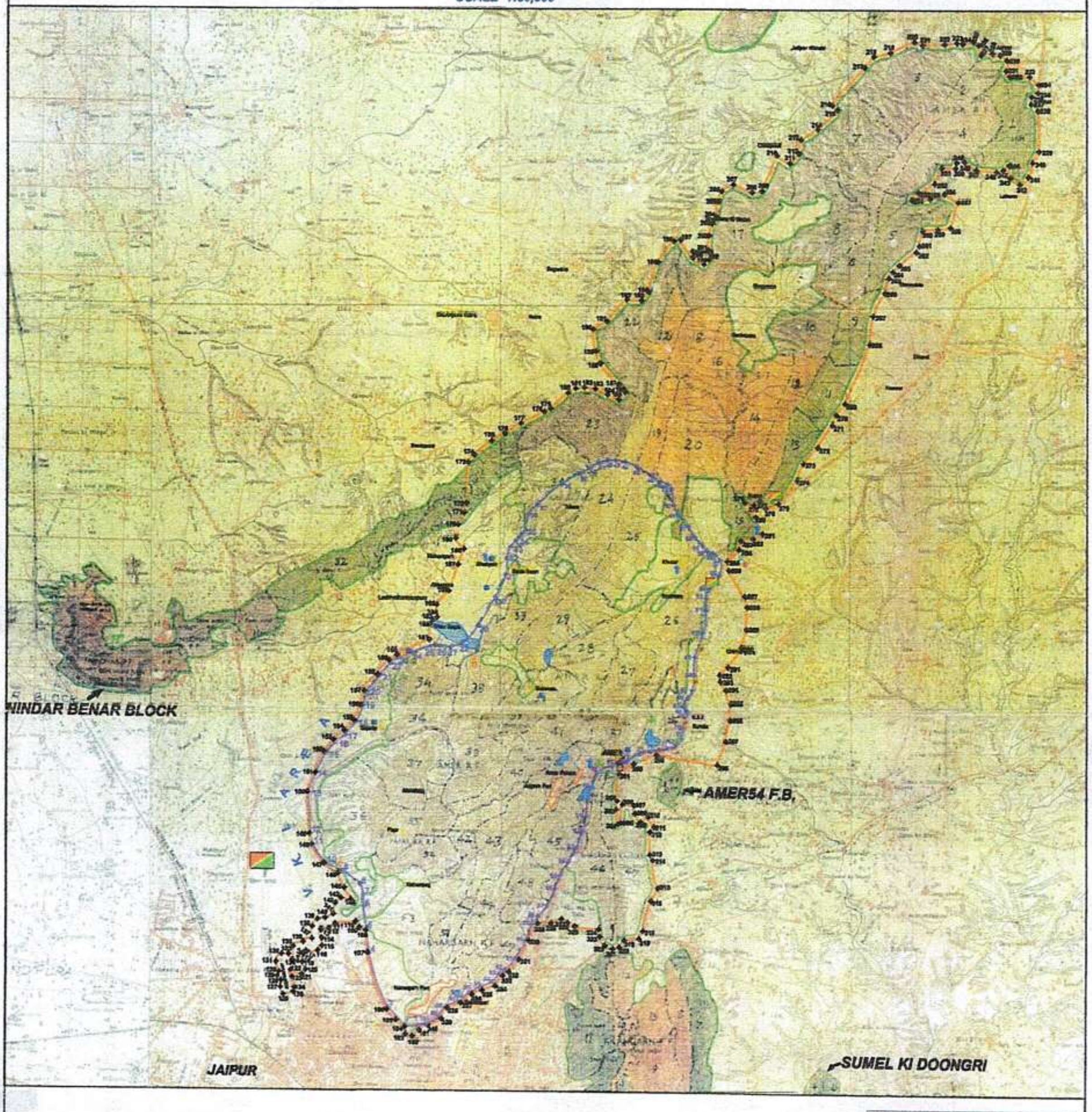

SCALE 1:50,000

N

SDM, Amber

Deputy Conservator of Forests Wild Life Jaipur

INDEX

1- NAHARGARH SANCTUARY BOUNDARY (G.P.S. POINT 01 TO 100)	
2- ECO-SENSITIVE ZONE BOUNDARY (G.P.S. POINT 101 TO 340)	
3- FOREST BLOCK BOUNDARY	
4. GOVT. SCHOOL & COLLEGE	
5. PETROL PUMP	
6. TEMPLE / MOSQUE	
7. RESORT & HOTEL	
8. GRID SUB-STATION	G.S.S
9. POND/BANDH/LAKE	
10. FORT & PALACE	
11. C.H.C./P.H.C.	
12. FEED WATER TANK	
13. TEHSIL / S D O. OFFICE / POLICE THANA	
14. FOREST OFFICE	

R.T.I. act 2005

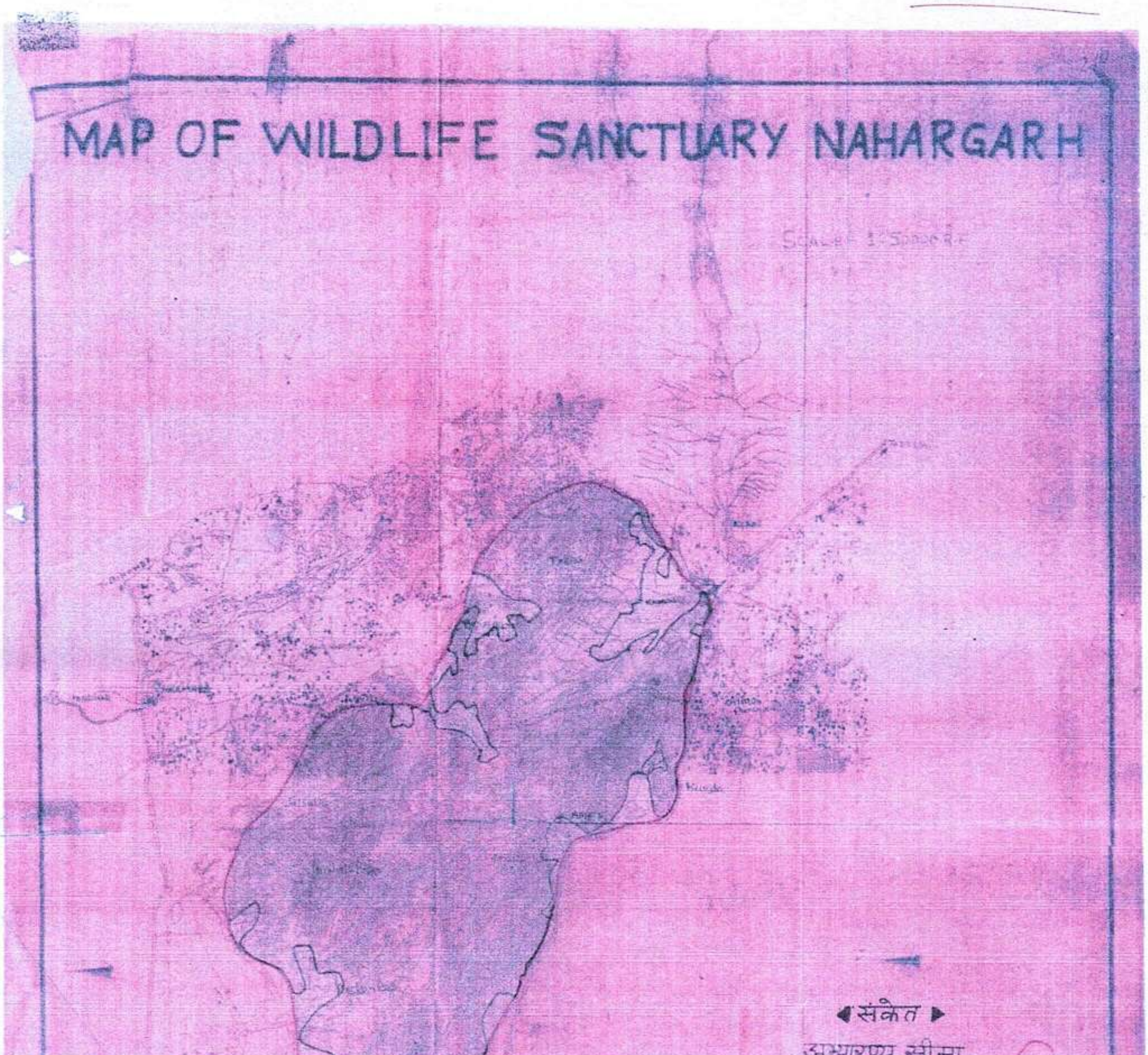

छायाप्रति प्रमाणित

R.K.S

81

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ.14(लोका. 14)2014/व.सु./प्र.मु.व.सं./382 दिनांकः 07/02/24

निमितः

सचिव,
लोकायुक्त सचिवालय,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः– परिवाद द्वारा श्री राजेन्द्र तिवाडी (तत्कालीन उप वन संरक्षक (वन्यजीव) श्रीमति आकांक्षा चौधरी द्वारा अपने पद का दुरूपयोग बबात्)।

संदर्भः– आपके कार्यालय के पत्र कमांक एफ 15(5)लोआस/2022/20481 दिनांक 24.01.2024 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त परिवाद के संबंध में उप वन संरक्षक (वन्यजीव) चिड़ियाधर, जयपुर के पत्र कमांक 9554 दिनांक 22.12.2023 से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

1. नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य की अधिसूचना दिनांक 22.09.1980 को जारी की गई थी। तत्पश्चात् नाहरगढ वन्यजीव अभ्यारण्य का वर्ष 2012 का मानचित्र तत्कालीन जिला कलक्टर जयपुर, प्रधान पंचायत समिति आमेर, उपखण्ड अधिकारी आमेर, उपखण्ड अधिकारी आमेर, उप वन संरक्षक, वन्यजीव जयपुर, मानद वन्यजीव प्रतिपालक जयपुर की सहमति से बनाया गया था जिस पर उक्त सभी अधिकारियों/सदस्यों के हस्ताक्षर है।

2. नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य दिनांक 22.09.1980 के अनुसार अभ्यारण्य की पूर्वी सीमा बन सीमा लाईन समीपवर्ती राजस्व क्षेत्र ग्राम कूकस, खुराड़, चिमनपुरा, आमेर, आबादी आमेर मावठा, आमेर देहली रोड़ व राजस्व क्षेत्र ग्राम नाहरगढ़ है।

3. परिवाद के बिन्दु संख्या 5 में उल्लेखित की गई होटल की एन.ओ.सी./पत्र को नवीन संयुक्त सर्वे रिपोर्ट दिनांक 07.09.2022 के उपरांत स्थिति स्पष्ट हो जाने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 7252 दिनांक 09.09.2022 द्वारा प्रत्याहरण कर लिया गया है।

4. नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य दिनांक 22.09.1980 के अनुसार अभयारण्य की पूर्वी सीमा वन सीमा लाईन समीपवर्ती राजस्व क्षेत्र ग्राम कूकस, खुराड़, चिमनपुरा, आमेर, आबादी आमेर मावठा, आमेर देहली रोड़ व राजस्व क्षेत्र ग्राम नाहरगढ है। नाहरगढ वन्यजीव अभ्यारण्य का वर्ष 2012 में तत्कालीन जिला कलक्टर जयपुर, प्रधान पंचायत समिति आमेर, उपखण्ड अधिकारी आमेर, उपखण्ड अधिकारी आमेर, उप वन संरक्षक, वन्यजीव जयपुर, मानद वन्यजीव प्रतिपालक जयपुर की सहमति से वनाया गया था जिस पर उक्त सभी अधिकारियों/सदस्यों के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात दिनांक 15.09.2016 को श्रीमान् अति. मुख्य सचिव (वन) की अध्यक्षता में नाहरगढ़ ईको–सेन्सिटिव जोन के संबंध में हुई बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार राज्य सरकार के पत्रांक एफ 1(71) वन/2002 दिनांक 21.09.2016 द्वारा बैठक कार्यवाही विवरण के निर्देशानुसार संशोधित मानचित्र तत्कालीन जिला कलक्टर जयपुर प्रधान पंचायत समिति आमेर, उपखण्ड अधिकारी आमेर, उपखण्ड अधिकारी आमेर, उप वन संरक्षक, वन्यजीव जयपुर, मानद वन्यजीव प्रतिपालक जयपुर, जिला कलक्टर जयपुर, उप वन संरक्षक, वन्यजीव जयपुर सहायक वन संरक्षक नाहरगढ़ वन्यजीव जयपुर, वरिष्ठ मानचित्राकार खनि अभियन्ता जयपुर, खनि अभियन्ता जयपुर एवं सर्वेयर कार्यालय उप वन संरक्षक वन्यजीव जयपुर की सहमति एवं हस्ताक्षरों से जारी किया गया था।

लोकायुक्त सचिवालय
जयपुर (राज.)
12 FEB 2024
प्राप्तांक संख्या 13877

"सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत प्रदत्त सूचना"
लोक सूचना अधिकारी
लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

5. नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य की अधिसूचना में वर्णित सीमाओं के अन्तर्गत आने वाली जयपुर जिले की भूमियों को उनकी परिस्थिति व प्राणिजातीय, वानस्पतीय, भू–संरचना संबंधित नैसर्गिक एवं प्राणी शास्त्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। किसी भी राजस्व ग्राम व व्यक्ति विशेष की भूमि को जबरन अभयारण्य सीमा में नहीं लिया गया है तथा अभ्यारण्य की सीमा के अन्दर आने वाले ग्रामों के लोगों का जिला कलक्टर जयपुर द्वारा वर्ष 1998 में वर्णित क्षेत्र में समस्त राजस्व भूमि के लिए जिसमें राजकीय भूमि, निजी स्वामित्व की भूमि शामिल है, उनमें राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 एवं राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट, 1956 के सभी प्रावधान यथावत रहते हुए उनके तहत प्रदत्त अधिकार यथावत रहेगें। इसके अतिरिक्त वर्णित क्षेत्र की ऐसी भूमि पर वर्तमान में प्रचलित राजस्व के समस्त अधिनियमों, नियमों व अन्य कानून यथावत लागू रहेगें। किन्तु किसी भी प्रकार की भूमि के व्यावसायिक, औद्योगिक एवं व्यापारिक खरीद–फरोख्त, संपरिवर्तन, रूपान्तरण से पूर्व वन विभाग की पूर्वानुमति आवश्यक होगी। अतः इससे स्पष्ट होता है कि विभाग द्वारा आमजन के अधिकारों का हनन नहीं किया गया।

6. नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.18 (25) नविवि/सामान्य /2014 पार्ट दिनांक 16 दिसम्बर 2021 द्वारा नाहरगढ वन्यजीव अभयारण्य हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 08.03.2019 के क्रम में नाहरगढ़ अभयारण्य की सीमा के संबंध में जारी अधिसूचना वर्ष 1980 एवं 1961में निर्धारित वन विभाग की सीमा को ईकजाई कर पुनः सत्यापित किये जाने हेतु अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। जिसकी अनुपालना में दिनांक 04.01.2022 को समिति की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें तहसीलदार जयपुर एवं तहसीलदार आमेर को वन विभाग जयपुर से समन्वय स्थापित करते हुये रिपोर्ट तैयार कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। तत्पश्चात् इस कार्यालय के पत्रांक 925 दिनांक 01.02.2023 द्वारा उक्त समिति की बैठक आयोजन करवाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने हेतु लिखा गया था, जो आज दिनांक तक अपेक्षित है।

7. उक्त नक्शा वर्ष 2012 में तैयार किया गया था, इसके बाद जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा ग्रामीणों को अधिकारों के लिए तथा उक्त नक्शे के संबंध में आक्षेप/आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया गया था। उसके 7 साल बाद 2019 में समिति द्वारा लगाए गए आक्षेपों का निस्तारण कर नक्शा अनुमोदित किया गया है। अतः अब यह कहना न्यायोचित नहीं है कि उक्त नक्शा गलत बनाया गया है तथा आमजन के अधिकारों का हनन किया गया है। इस कारण सभी तथ्यों के अध्ययन के उपरांत इस प्रकरण को संज्ञान में लिया जाना उचित नहीं है।

भवदीय

(एम. के. गर्ग)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर

"सूचना का अधिकार अधिनियम–2005
के अन्तर्गत प्रदत्त सूचना"

लोक सूचना अधिकारी
लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर